अपील सूचना अधिकार संख्या 105/2019 (RCMS 2019/00273) धर्मनाथ चेला शुभनात, चक 2 एम एल नाथांवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मो.नं. 94615—79636) <u>बनाम</u> लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), श्रीगंगानगर

<u>17.02.2020</u>

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री धर्मनाथ चेला शुभनाथ स्वयं उपस्थित नही हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 03 बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), श्रीगंगानगर से सूचना उपलब्ध की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है और दोषी कर्मकारों के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं 5000/— अपीलार्थी को दिलवाने और वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी धर्मनाथ चेला शुभनाथ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.10.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. मतदाता पहचान पत्र विक्रम नाथ चेला शुभनाथ निवासी 2 एमएल नाथावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मतदारा पहचान पत्र GCJ-1211887 जिस दिवस बनाया गया, उस दिवस की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. पहचान पत्र बनाने सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की सूचना व प्रमाणित प्रति जो विक्रम नाथ द्वारा प्रस्तुत किये गये।

3. पहचान बनाते समय विभागीय कार्यवाही की।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1492 दिनांक 16.10.2019 से अपीलार्थी को चाही गई सूचना के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :

क्र. सं.	वांछित सूचना	उत्तर
1	मतदाता पहचान पत्र विक्रम नाथ चेला शुभनाथ निवासी 2 एमएल नाथावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मतदारा पहचान पत्र GJC-1211887 जिस दिवस बनाया गया उस दिवस की सूचना व प्रमाणित प्रति।	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च के तहत किसी भी मतदाता की व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध करवाना सम्भव नही है।
2	पहचान पत्र बनाने सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की सूचना व प्रमाणित प्रति जो विक्रम नाथ द्वारा प्रस्तुत किये गये।	
3	पहचान बनाते समय विभागीय कार्यवाही की।	

-sd-
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
(एस.डी.एम.), श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने उक्त प्रतिवेदन दिनांक 16.10.2019 के द्वारा अपीलार्थी को जवाब दिया जा चुका है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर **लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसप्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमे

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर